राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्याः 78 / 2025
जीसीएमएस संख्याः 2025 / 149
निर्णय दिनांकः 08.08.2025
दायर दिनांकः 13.05.2025

1. दशरथ नायक पुत्र पूर्णाराम जाति नायक निवासी ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू राजस्थान।

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू।

................अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम न्यामा तहसील सुजानगढ़ के खसरा नम्बर 154 तादादी 0.7587 है0 के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी के दादा का नाम लिछमा पुत्र लादुराम जाति नायक दर्ज है, जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी के दादा का सही नाम लिछमणराम पुत्र बोदूराम जाति नायक है जो कि अन्य दस्तावेजों में भी अंकित है।

प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरस्त करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही न्यामा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र को क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड, राशन कार्ड आदि में प्रार्थी के दादा का सही नाम लिछमणराम पुत्र लादुराम अंकित है जबकि जमाबन्दी में लिछमा पुत्र लादूराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी के दादा का नाम राजस्व रिकॉर्ड में लिछमा पुत्र लादुराम की बजाय लिछमणराम पुत्र लादुराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज मृत्यू प्रमाण पत्र, बैंक डायरी आदि में प्रार्थी के दांदा का नाम लिछमणराम पुत्र लादुराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही न्यामा तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा नम्बर 154 तादादी 0.7587 है0 में दर्ज खातेदार का नाम लिछमा पुत्र लादुराम के स्थान पर लिछमणराम पुत्र लादूराम दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2025 को टंकित करवाया जाकर सरे आम इजलास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते